वित्त मंत्रालय

मांग संख्या 40

राज्यों को अंतरण

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2016-2017			बजट 2017-2018			संशोधित 2017-2018			बजट 2018-2019		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	127839.67	17763.59	145603.26	138601.38	18600.00	157201.38	122817.18	17600.00	140417.18	141873.50	20100.00	161973.50
वसूलियां	*-6450.00*	*...*	*-6450.00*	*-10000.00*	*...*	*-10000.00*	*-3660.00*	*...*	*-3660.00*	*-2500.00*	*...*	*-2500.00*
प्राप्तियां	*-6450.00*	*...*	*-6450.00*	*-10000.00*	*-100.00*	*-10100.00*	*-3660.00*	*-12832.00*	*-16492.00*	*-2500.00*	*-14116.00*	*-16616.00*
निवल	**114939.67**	**17763.59**	**132703.26**	**118601.38**	**18500.00**	**137101.38**	**115497.18**	**4768.00**	**120265.18**	**136873.50**	**5984.00**	**142857.50**
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
वित्त आयोग अनुदान												
संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के तहत अनुदान												
1. हस्तांतरण-पश्चात् राजस्व घाटा अनुदान	41307.00	...	41307.00	35820.00	...	35820.00	35819.00	...	35819.00	34582.00	...	34582.00
2. राज्य आपदा मोचन कोष के लिए सहायता अनुदान	8374.95	...	8374.95	10993.00	...	10993.00	9382.80	...	9382.80	9852.13	...	9852.13
3. स्थानीय निकायों के लिए अनुदान												
3.01 ग्रामीण निकाय	31370.52	...	31370.52	39040.96	...	39040.96	39040.96	...	39040.96	19870.19	...	19870.19
3.02 शहरी निकाय	14497.83	...	14497.83	17247.42	...	17247.42	17247.42	...	17247.42	45069.18	...	45069.18
जोड़- स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	*45868.35*	*...*	*45868.35*	*56288.38*	*...*	*56288.38*	*56288.38*	*...*	*56288.38*	*64939.37*	*...*	*64939.37*
जोड़-संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के तहत अनुदान	**95550.30**	**...**	**95550.30**	**103101.38**	**...**	**103101.38**	**101490.18**	**...**	**101490.18**	**109373.50**	**...**	**109373.50**
जोड़-वित्त आयोग अनुदान	**95550.30**	**...**	**95550.30**	**103101.38**	**...**	**103101.38**	**101490.18**	**...**	**101490.18**	**109373.50**	**...**	**109373.50**
अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण												
4. विशेष सहायता	10899.61	...	10899.61	11000.00	...	11000.00	7000.00	...	7000.00	15000.00	...	15000.00
5. संविधान के भाग IX और I Xक में शामिल न किए गए क्षेत्रों को अनुदान	...	...	...	...	...	...	500.00	...	500.00	500.00	...	500.00
6. संविधान की छठी अनुसूची में सम्मिलित स्वायत्त परिषदों, क्षेत्रों को अनुदान	...	...	...	500.00	...	500.00	...	...	...	...	...	...
7. विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुदान)	3498.47	...	3498.47	4000.00	...	4000.00	3000.00	...	3000.00	4500.00	...	4500.00
8. विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (बड़े ऋण)	...	17763.59	17763.59	...	18500.00	18500.00	...	17500.00	17500.00	...	20000.00	20000.00
	...	...	...	...	...	...	...	-12732.00	-12732.00	...	-14016.00	-14016.00
निवल	*...*	*17763.59*	*17763.59*	*...*	*18500.00*	*18500.00*	*...*	*4768.00*	*4768.00*	*...*	*5984.00*	*5984.00*

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2016-2017			बजट 2017-2018			संशोधित 2017-2018			बजट 2018-2019		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
9. *राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष को अंतरण*												
9.01 राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष को अंतरण	6450.00	...	6450.00	10000.00	...	10000.00	3660.00	...	3660.00	2500.00	...	2500.00
9.02 घटाएं राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क (सीमा-शुल्क)	-23.80	...	-23.80	-2500.00	...	-2500.00	-660.00	...	-660.00	-750.00	...	-750.00
9.03 घटाएं राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क)	-6426.20	...	-6426.20	-7500.00	...	-7500.00	-3000.00	...	-3000.00	-1750.00	...	-1750.00
निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
10. *राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष से राज्यों को सहायता*												
10.01 राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष से राज्यों को सहायता	11441.29	...	11441.29	10000.00	...	10000.00	7167.00	...	7167.00	10000.00	...	10000.00
10.02 घटाएं राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष से अंतरण से पूरी की गई राशि	-6450.00	...	-6450.00	-10000.00	...	-10000.00	-3660.00	...	-3660.00	-2500.00	...	-2500.00
निवल	*4991.29*	...	*4991.29*	...	...	...	*3507.00*	...	*3507.00*	*7500.00*	...	*7500.00*
11. अर्थोपाय अग्रिम	...	...	...	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00
	...	...	...	...	-100.00	-100.00	...	-100.00	-100.00	...	-100.00	-100.00
निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण	**19389.37**	**17763.59**	**37152.96**	**15500.00**	**18500.00**	**34000.00**	**14007.00**	**4768.00**	**18775.00**	**27500.00**	**5984.00**	**33484.00**
कुल जोड़	***114939.67***	***17763.59***	***132703.26***	***118601.38***	***18500.00***	***137101.38***	***115497.18***	***4768.00***	***120265.18***	***136873.50***	***5984.00***	***142857.50***
ख. योजना परिव्यय												
सामाजिक सेवाएं												
1. प्राकृतिक आपदा राहत	4991.29	...	4991.29	...	...	...	3507.00	...	3507.00	7500.00	...	7500.00
जोड़-सामाजिक सेवाएं	**4991.29**	**...**	**4991.29**	**...**	**...**	**...**	**3507.00**	**...**	**3507.00**	**7500.00**	**...**	**7500.00**
अन्य												
2. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	109948.38	...	109948.38	118601.38	...	118601.38	111990.18	...	111990.18	129373.50	...	129373.50
3. राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम	...	17763.59	17763.59	...	18500.00	18500.00	...	4768.00	4768.00	...	5984.00	5984.00
जोड़-अन्य	**109948.38**	**17763.59**	**127711.97**	**118601.38**	**18500.00**	**137101.38**	**111990.18**	**4768.00**	**116758.18**	**129373.50**	**5984.00**	**135357.50**
कुल जोड़	**114939.67**	**17763.59**	**132703.26**	**118601.38**	**18500.00**	**137101.38**	**115497.18**	**4768.00**	**120265.18**	**136873.50**	**5984.00**	**142857.50**

1. **हस्तांतरण-पश्चात् राजस्व घाटा अनुदान:** 14वें वित्त आयोग ने केन्द्रीय करों में प्रत्येक राज्य का हिस्सा निर्धारित किया है और केन्द्र सरकार के अनुमानित कर राजस्व के आधार पर प्रत्येक राज्य के हिस्से का अनुमान लगाया है। अनुमानित अंतरण पूर्व राजस्व घाटा और केन्द्रीय करों में प्रत्येक राज्य के हिस्से के आधार पर, 14वें वित्त आयोग ने 11 राज्यों के लिए अंतरण पश्चात् राजस्व घाटे का अनुमान लगाया है और 2015-20 की अपनी अधिनिर्णय अवधि में उन 11 राज्यों के लिए राजस्व घाटे हेतु अनुदान की सिफारिश की है।

2. **राज्य आपदा मोचन कोष के लिए सहायता अनुदान:** चौदहवें वित्त आयोग ने 2015-20 की अधिनिर्णय अवधि के लिए सभी राज्यों के लिए राज्य आपदा मोचन कोष के संवर्धन के लिए अनुदानों की सिफारिश की है। राहत व्यय का प्रथम दायित्व राज्य आपदा मोचन कोष पर है। राज्य आपदा मोचन कोष आपदा राहत और कार्रवाई हेतु धन मुहैया कराने के लिए राज्यों के पास उपलब्ध प्राथमिक कोष है।

3. **स्थानीय निकायों के लिए अनुदान:** चौदहवें वित्त आयोग ने 2015-20 की अपनी अधिनिर्णय अवधि के लिए स्थानीय निकायों (ग्रामीण और शहरी) के लिए मूल और निष्पादन अनुदानों की सिफारिश की है।

4. **विशेष सहायता:** यह प्रावधान (क) बकाया प्रतिबद्ध देयताओं जिनके लिए चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के पश्चात् बजट प्रावधान नहीं किया जाता है और (ख) राज्यों के लिए अन्य आवश्यकता आधारित सहायता के लिए निर्धारित किया गया है।

5. **संविधान के भाग IX और I Xक में शामिल न किए गए क्षेत्रों को अनुदान:** यह प्रावधान,14वें वित्त आयोग द्वारा शामिल न किए गए क्षेत्रों और ऐसे क्षेत्रों जहां संविधान के भाग IX और IX (क) लागू नहीं होते, को वित्तीय सहायता के उद्देश्य से निर्धारित किया गया है।

6. **संविधान की छठी अनुसूची में सम्मिलित स्वायत्त परिषदों, क्षेत्रों को अनुदान:** यह चौदहवें वित्त आयोग द्वारा वर्जित क्षेत्रों के लिए सहायता होगी जिनपर संविधान के भाग IX और IXक लागू नहीं होते।

7. **विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुदान):** विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता इसी मांग से दी जाती है। अप्रैल, 2005 से, 12वें वित्त आयोग की सिफारिश पर विदेशी सहायता के उसी रूप में अंतरण की एक नई व्यवस्था आरंभ की गई थी जिसके तहत पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों से भिन्न अन्य राज्यों को उन्हीं शर्तों पर विदेशी सहायता दी जाती है जिन पर यह दाता एजेंसियों से केन्द्र सरकार को प्राप्त होती है। राज्यों को विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अनुदान घटक के लिए धनराशि का प्रावधान राजस्व भाग के तहत किया गया है।

8. **विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (बड़े ऋण):** राज्यों को विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के ऋण घटक के लिए धनराशि का प्रावधान पूंजी भाग के तहत किया गया है। इसके ऋण घटक की वसूली मेजर हेड 6002 के तहत बनाई गई है।

9.01. **राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष को अंतरण:** प्राकृतिक आपदाओं के फलस्वरूप राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष के तहत राहत पर व्यय।

10.01. **राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष से राज्यों को सहायता:** राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष के तहत राज्यों को राज्य आपदा मोचन कोष से धनराशि की पूर्ति के लिए गंभीर प्राकृतिक आपदाओं के पश्चात् तत्काल राहत के लिए सहायता दी जाती है। राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष से सहायता, असाधारण कठिनाई और प्राकृतिक आपदाओं के समय में राज्यों को तत्काल सहायता के रूप में प्रदान की जाती है।

11. **अर्थोपाय अग्रिम:** अस्थायी अग्रिम का यह प्रावधान अल्पकालिक नकदी के असंतुलन से निपटने में राज्य सरकारों की सहायता करने के लिए है।